



ALL INDIA ASSOCIATION OF COAL EXECUTIVES (AIACE)

(Regd. Under the Trade Union Act, 1926; Regd. No. 546 / 2016)

302, Block No. 4, Ram Krishna Enclave, Nutan Chowk, Sarkanda; Bilaspur (CG)

E-mail : centralaiace@gmail.com ; Ph. 9907434051

Ref No. AIACE/CENTRAL/2023 / 033_Press Release

Dated 22.6.2023

PRESS RELEASE

Coal India Ltd. has implemented a CPRMSE for retired executives, and its various provisions have undergone various amendments from time to time as per need. The maximum amount of reimbursement is governed by following clause of CPRMSE:-

3.2.1.c The maximum amount reimbursable during the entire life for the retired Executives and spouse would be ₹25 lakhs jointly and/or severally on floater basis i.e., any member of the couple can avail the combined amount of ₹25 lakhs irrespective of single or couple membership. This limit should be applicable in respect of General Diseases only i.e., other than the diseases for which the upper limit is not applicable.

As per Amendment vide OM No. CIL/C-5A(PC)/CPRMSE/2005 dated 01.04.2017, no limit is applicable in case of the treatment of the 6 diseases viz. (i) Heart and Vascular diseases involving surgical or interventional therapy (ii) Cancer (iii) Renal disease (iv) Paralysis (v) AIDS and, (vi) Addison's disease & Adrenal Histoplasmosis.

This above amendment acts as a boon to executives and their spouses suffering from these dreaded diseases who exhaust their own savings and also the permissible limit of life-time permissible limit of reimbursement of Rs 25 lakhs.

We want to bring following facts for sympathetic consideration of Coal India management.

1. Some of executives and spouses, being healthy life long, do not need reimbursement as per the provision of CPRMSE. Even, they depart for heavenly abode without spending even a rupee as per entitlement.
2. Some executives, though having no ailment of their or spouses are faced with the situation when their sons/daughters contract some diseases which need huge money in treatment. Such executives spend their life time saving in treatment and saving the life of diseased son/daughter who are fully or partially dependent on the retired executives. The situation worsens, when they have no money to continue treatment and become helpless seeing no option of arrangement of fund.

We request that, under special circumstances, such retired executives who have not availed or exhausted medical expenses limit of Rs 25 lakh, be permitted under CPRMSE to avail treatment of family members suffering from certain critical diseases.

These retirees are in fact those executives who, exhaust their terminal benefits in house construction, marriage of their sons/ daughters and meeting other social obligations and could not preserve their life-time savings to afford treatment of the family members in case of critical disease. We believe that such amendment will no doubt go a long way to strengthen the bond between CIL and its former as well as present executives.

(P. K. SINGH RATHOR)

Principal General Secretary



ALL INDIA ASSOCIATION OF COAL EXECUTIVES (AIACE)

(Regd. Under the Trade Union Act, 1926; Regd. No. 546 / 2016)

302, Block No. 4, Ram Krishna Enclave, Nutan Chowk, Sarkanda; Bilaspur (CG)

E-mail : centralaiace@gmail.com ; Ph. 9907434051

संदर्भ संख्या AIACE/CENTRAL/2023 / 033_प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 22.6.2023

प्रेस विज्ञप्ति

कोल इंडिया लिमिटेड ने सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए सीपीआरएमएसई लागू किया है, और इसके विभिन्न प्रावधानों में समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार विभिन्न संशोधन किए गए हैं। प्रतिपूर्ति की अधिकतम राशि सीपीआरएमएसई के निम्नलिखित खंड द्वारा नियंत्रित होती है: -

3.2.1.सी सेवानिवृत्त अधिकारियों और उनके पति/पत्नी के लिए पूरे जीवन के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि संयुक्त रूप से और/या अलग-अलग फ्लोटर आधार पर ₹25 लाख होगी, यानी जोड़े का कोई भी सदस्य चाहे कुछ भी हो, ₹25 लाख की संयुक्त राशि का लाभ उठा सकता है। एकल या युगल सदस्यता। यह सीमा केवल सामान्य बीमारियों के संबंध में लागू होनी चाहिए, यानी उन बीमारियों के अलावा जिनके लिए ऊपरी सीमा लागू नहीं है।

दिनांक 01.04.2017 के ओएम संख्या सीआईएल/सी-5ए(पीसी)/सीपीआरएमएसई/2005 के संशोधन के अनुसार, 6 बीमारियों के उपचार के मामले में कोई सीमा लागू नहीं है। (i) हृदय और संवहनी रोग जिसमें सर्जिकल या इंटरवेंशनल थेरेपी शामिल है (ii) कैंसर (iii) गुर्दे की बीमारी (iv) पक्षाघात (v) एड्स और, (vi) एडिसन रोग और एड्रेनल हिस्टोप्लास्मोसिस।

यह उपरोक्त संशोधन इन खतरनाक बीमारियों से पीड़ित अधिकारियों और उनके जीवनसाथियों के लिए एक वरदान के रूप में कार्य करता है, जो अपनी स्वयं की बचत समाप्त कर लेते हैं और साथ ही जीवन भर के लिए 25 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की अनुमेय सीमा भी समाप्त कर देते हैं।

हम कोल इंडिया प्रबंधन के सहानुभूतिपूर्ण विचार हेतु निम्नलिखित तथ्य लाना चाहते हैं।

1. कुछ अधिकारियों और जीवनसाथियों को, लंबे समय तक स्वस्थ रहने के कारण, सीपीआरएमएसई के प्रावधान के अनुसार प्रतिपूर्ति की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि, वे पेशाब के अधिकार के रूप में एक रुपया भी खर्च किए बिना स्वर्गीय निवास के लिए प्रस्थान करते हैं।
2. कुछ अधिकारियों को, भले ही उन्हें या उनके जीवनसाथी को कोई बीमारी न हो, ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जब उनके बेटे/बेटियाँ कुछ बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं जिनके इलाज के लिए भारी धन की आवश्यकता होती है। ऐसे अधिकारी अपना जीवन भर बचत करने और बीमार बेटे/बेटी के जीवन को बचाने में बिताते हैं जो पूरी तरह या आंशिक रूप से सेवानिवृत्त अधिकारियों पर निर्भर होते हैं। स्थिति तब और खराब हो जाती है, जब उनके पास इलाज जारी रखने के लिए पैसे नहीं होते और धन की व्यवस्था का कोई विकल्प न देखकर वे असहाय हो जाते हैं।

हम अनुरोध करते हैं, विशेष परिस्थितियों में, ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी जिन्होंने 25 लाख रुपये की चिकित्सा व्यय सीमा का लाभ नहीं उठाया है या समाप्त कर लिया है, उन्हें सीपीआरएमएसई के तहत कुछ गंभीर बीमारियों से पीड़ित परिवार के सदस्यों के इलाज का लाभ उठाने की अनुमति दी जाए।

ये सेवानिवृत्त वास्तव में वे अधिकारी हैं, जो घर के निर्माण, अपने बेटों/बेटियों की शादी और अन्य सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में अपने अंतिम लाभों को समाप्त कर देते हैं और गंभीर बीमारी की स्थिति में परिवार के सदस्यों के इलाज का खर्च उठाने के लिए अपनी जीवन भर की बचत को संरक्षित नहीं कर पाते हैं। हमारा मानना है कि इस तरह के संशोधन से निस्संदेह सीआईएल और इसके पूर्व और वर्तमान अधिकारियों के बीच संबंधों को मजबूत करने में काफी मदद मिलेगी।

(पी.के. सिंह राठौड़)

प्रधान महासचिव